**न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर**
**पीठासीन अधिकारी : डॉ. प्रतिभा सिंह, आई.ए.एस.**

**राजस्व अपील संख्या 72/2023**

**अपीलान्ट** बनाम **रेस्पोडेन्टस**

हरदास पुत्र स्व0 गुणेशा मेघवाल निवासी– बरड़ाना, तहसील पोकरण जिला जैसलमेर।

1. श्रीमती पंकज पत्नी महेन्द्र कुमार मेघवाल निवासी– रामपुरा, मोहनगढ तहसील व जिला जैसलमेर।
2. श्रीमती भवानी पत्नी मनोज कुमार मेघवाल निवासी– रामपुरा, मोहनगढ तहसील व जिला जैसलमेर।
3. हरिसिंह पुत्र स्व. तुलछसिंह
4. रघुनाथ सिंह पुत्र स्व0 तुलछसिंह
5. बलदेव सिंह पुत्र स्व. तुलछसिंह राजपूत निवासी– बरड़ाना, तहसील पोकरण जिला जैसलमेर।
6. गंगाराम पुत्र जुगताराम मेघवाल निवासी– बरड़ाना, तहसील पोकरण जिला जैसलमेर।
7. महेन्द्र कुमार कडेला पुत्र पूनाराम निवासी– रामपुरा, मोहनगढ तहसील व जिला जैसलमेर।
8. पंकज कुमार पुत्र सुदामाराम निवासी– दिधू तहसील पोकरण जिला जैसलमेर।
9. तहसीलदार, पोकरण।

न्यायालय संभागीय आयुक्त जोधपुर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 03.11.2022 जो उपखण्ड अधिकारी, पोकरण जिला जैसलमेर के द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 38/2022 अनवान श्रीमती पंकज वगैराह बनाम श्रीमती भवानी वगैराह में पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1. श्री पीराणे खान, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री अमित कुमार पुरोहित अधिवक्ता, रेस्पा0 संख्या 1,2 एवं 7 की ओर से।
3. श्री नवलसिंह दहिया, राज. अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 9 की ओर से।
4. शेष रेस्पोडेन्टस बावजूद सूचना के अनुपस्थित है।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

**निर्णय**

दिनांक 25 फरवरी, 2025

अपीलान्ट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, पोकरण जिला जैसलमेर के द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 38/2022 अनवान श्रीमती पंकज वगैराह बनाम श्रीमती भवानी वगैराह में पारित आदेश दिनांक 03.11.2022 के विरूद्ध दिनांक 27.07.2023 को न्यायालय हाजा के समक्ष पश की गई है।

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थनापत्र दिनांक 17.02.2022 अन्तर्गत धारा 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश करते हुए कथन किया गया कि उनकी खातेदारी के खसरा संख्या 275/274 रकबा 8.9902 हैक्टर भूमि ग्राम बरड़ाना में स्थित है जिसकी राजस्व नक्शे में अलग से तरमीम की हुई है तथा उक्त खसरे के पडौस में अन्य पडौसी खातेदार/ रेस्पोडेन्ट्स की कृषि भूमि आई हुई है। उक्त भूमि की दिनांक 24.12.2021 को पुख्ता बिन्दू से पैमाइश की गई परन्तु ख0सं0 33 के खातेदार (वर्तमान अपीलान्ट) द्वारा उक्त पैमाइश को मानने से इंकार किया गया। इस कारण से रेस्पो0 संख्या एक अपनी उक्त भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहती है जिससे भविष्य में कोई सीमा विवाद नहीं हो। अतः रेस्पो0 संख्या एक का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी किये जाने के आदेष प्रदान करावें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज करते हुए अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करते हुए तलब करने के उपरान्त रेस्पो0 संख्या एक के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए रेस्पो0 संख्या एक की उक्त भूमि की पत्थरगढी किये जाने का दिनांक 03.11.2022 को आदश पारित कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष पेश की है।

उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित है। दौराने सुनवाई अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार यह कथन किया कि अपीलाधीन आदेश की पालना करने हेतु पटवारी हल्का व अन्य राजस्व कर्मचारी मौके पर आये और नाप जोख करने लगे तब अपीलान्ट ने इस बाबत पूछने पर बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या एक के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय से उपरोक्त अपीलाधीन आदश पारित करवा लिया है तब अपीलान्ट अपने अधिवक्ता से मिला तब अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि दिनांक 3.11.2023 को आदेश हो गया है। अपीलान्ट के द्वारा दिनांक 18.7.2023 को नकले प्राप्त करते हुए यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष



संभागीय आयुक्त
जोधपुर

पेश की जा रही है जिसे प्रथम जानकारी की दिनांक से अन्दर मियाद शुमार किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जावें।

रेस्पोडेन्ट्स के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलांन्ट की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य मिथ्या होना बताया तथा प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने बाबत निवेदन किया गया।

अपीलान्ट की ओर से धारा 05 मियाद अधिनियम पर दोनों विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा की गई बहस पर गहनता से मनन एवं चिन्तन किया गया जिसके आधार पर अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है।

दौराने सुनवाई अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र में अपीलान्ट को अप्रार्थी/पक्षकार संस्थित किया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र में रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा अंकित किया गया था कि उक्त भूमि के पडौस में अपीलान्ट का ख0सं0 33 रकबा 6.8149 हैक्टर स्थित है परन्तु अपीलान्ट सीमाज्ञान कराने में सहमत नहीं है तथा मौके पर पैमाइश को मानने से इन्कार करते हुए उपस्थित नहीं हुआ, जो सरासर झूठ व मनगढत है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद भी उन्हें प्रार्थना पत्र का जवाब पेश करने का व सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया गया है और पडौसी खेत के खातेदारों के सुनवाई का अवसर दिये बिना ही आदेश पारित कर दिया। इस कारण से अपीलाधीन आदेश पूर्णतया प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्त करने योग्य है।

अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलान्ट को नोटिस जारी किया गया परन्तु अपीलान्ट को नोटिस प्राप्त नहीं हुआ था। अपीलान्ट की व्यक्तिगत तामील नहीं होने के बावजूद उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 05 नियम 17 व 19 की पालना नहीं की गई तथा एकतरफा कार्यवाही करने के आदेश दे दिये गये। तामील कुनिन्दा द्वारा व्यक्तिगत तामील नहीं करवाने के बावजूद मातहत अदालत ने ट्रेकिंग रिपोर्ट झूठी व मनगढत आधार पर बनाकर न्यायालय में पेश की, जिस पर गौर नहीं किया गया। इसके अलावा धारा 111, 128 राज भू राजस्व अधिनियम में यह स्पष्ट प्रावधान है कि लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त कर अपना निर्णय पारित करेंगे जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रावधानों की पालना नहीं कर



संभागीय आयुक्त
जोधपुर

विधिक त्रुटि कारित की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रेकर्ड व नक्शे का भी अवलोकन नहीं किया गया। उक्त खसरा भूमि की पत्थरगढी सीमाकंन रिपोर्ट के अभाव में अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। उक्त खसरे की सीमाज्ञान रिपोर्ट सर्वे नक्शे यानि वक्त सेटलमेन्ट नक्शे के आधार पर सीमाज्ञान नहीं किया गया है और न ही पडौसी खातेदारों के इस पर हस्ताक्षर है। इस आधार पर भी अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है।

अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 18.10.2022 की आदेशिका में उल्लेख किया गया है कि अप्रार्थी संख्या 2 ता 6 तथा 8 को पूर्व में उपस्थिति हेतु कई अवसर दिये जा चुके है। अतः अप्रार्थी संख्या 2 ता 6 व 8 के विरूद्ध अदम हाजरी व अदम पैरवी के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। इसके अलावा तहसीलदार पोकरण को भी प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया, तब न्यायालय द्वारा तहसीलदार पोकरण को पक्षकार के रूप में संयोजित करने का आदेश पारित किया गया। तहसीलदार पोकरण के द्वारा पूर्व में पेश जबाब को उक्त दिनांक को शामिल मिसल किया गया तथा पत्रावली बहस हेतु दिनांक 18.10.2022 को पेश होने हेतु तिथी नियत की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 01 नियम 10 की पूर्णतः पालना नहीं की गई है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने मिलीभगत करते हुए अपीलान्ट को नुकसान कारित करने के आशय से विधि का उल्लंघन करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है।

अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलान्ट को सुना तक नहीं गया बल्कि पीठ पीछे एकतरफा आदेश पारत कर दिया है। विधि का यह भी सारभूत सिद्धान्त है कि न्याय केवल किया ही नहीं जाना चाहिये बल्कि किया जाना भी प्रकट होना चाहिये। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट की अपील को स्वीकार किया जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 3.11.2022 को निरस्त करते हुए अपीलान्ट को सुनवाई एवं जवाब पेश करने का पर्याप्त अवसर देकर प्रकरण निस्तारण करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने का आदेश प्रदान करावें। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा अपने कथनों के समर्थन में राजस्व विभाग, जयपुर के द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 17.02.1985, निर्णय नजीर आरआरटी 2014–15(supp) पेज 68, आरआरटी, 2015(2) पेज 1283 पेश किये गये जिनका बगौर अवलोकन किया गया।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

प्रत्युत्तर में दौराने सुनवाई रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 एवं 7 के विद्वान अधिवक्ता ने लिखित में बहस पेश करते हुए यह कथन किया कि उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार कार्यवाही शेष नहीं रही है। पत्थरगढी कमेटी व पुलिस की उपस्थिति में पत्थरगढी का कार्य पूर्ण हो चुका है जिसकी मौका रिपोर्ट संलग्न पेश है। ऐसे में अपील इन्फेक्चुअस हो चुकी है। इसके अलावा प्रकरण में तामील विधि अनुसार हुई है। अपीलान्ट हरदास लगभग 80 वर्ष की उम्र का है जिनकी तामील उनके पुत्र कस्तूराराम पर हुई है। ऐसी स्थिति में हरदास की तामील साम्यिक रूप से मानी जायेगी तथा अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त कार्यवाही भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अनुसार ही की है। अपीलान्ट की अपील खारिज करने योग्य है।

रेस्पोडेन्ट्स के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस यह भी निवेदन किया कि रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थनापत्र दिनांक 17.02.2022 अन्तर्गत धारा 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बरड़ाना में स्थित अपनी खरीदशुदा खसरा संख्या 275/274 रकबा 8.9902 हैक्टर भूमि की तरमीम की हुई होने तथा दिनांक 24.12.2021 को पुख्ता बिन्दू से पैमाइश करवाई जाने पर ख0सं0 33 के पडौसी खातेदार (वर्तमान अपीलान्ट) द्वारा पैमाइश को मानने से इंकार कर दिया, जिस कारण से रेस्पो0 संख्या एक अपनी उक्त भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहती है जिससे भविष्य में कोई सीमा विवाद नहीं हो। इस प्रकरण में पहले सीमाज्ञान की कार्यवाही हुई तत्पष्चात पत्थरगढी का आदेश हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज करते हुए अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करते हुए तलब किया। रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार पोकरण द्वारा जवाब पेश किया गया तथा अपीलान्ट हरदास की भी तामीली पूर्ण करवाई गई। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 संख्या एक के प्रार्थना पत्र को नियमानुसार स्वीकार करते हुए रेस्पो0 संख्या एक की उक्त भूमि की पत्थरगढी किये जाने का दिनांक 03.11.2022 को आदेश पारित किया गया है जो कि विधि के अनुकूल उचित होने से यथावत रखा जावें।

रेस्पोडेन्ट्स के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि उनकी ओर से लिखित बहस के साथ मौका फर्द प्रस्तुत की है। मौका रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि हरदास बावजूद इत्तिला अनुपस्थित रहा है तथा उनका पुत्र बाबूराम मौके पर उपस्थित था लेकिन उसने फर्द मौका पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया। उक्त पत्थरगढी की कार्यवाही दिनांक 6.7.2023 को पूर्ण करवाई जा चुकी है। अतः अपीलान्ट की अपील सारहीन होने से



संभागीय आयुक्त
जोधपुर

खारिज की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 3.11.2022 को यथावत रखा जावें।

हमने उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण की ओर से की गई बहस पर गहनता से मनन एवं चिंतन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अपीलांधीन आदेश, प्रस्तुत निर्णय नजीरों का गहनता से बगौर अवलोकन किया गया, जिसके उपरान्त यह पाया गया कि रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थनापत्र दिनांक 17.02.2022 अन्तर्गत धारा 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर ग्राम बरड़ाना के ख0 सं0 275/274 रकबा 8.9902 हैक्टर भूमि की पत्थरगढी किये जाने हेतु निवेदन किया गया था, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए रेस्पो0 संख्या एक की उक्त भूमि की पत्थरगढी किये जाने का दिनांक 03.11.2022 को आदेश पारित किया गया है।

अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील में अपीलाधीन आदेश के सम्बन्ध में मुख्य रूप से यह आपत्ति उठाई गई है कि उन्हें आदेश पारित करने से पूर्व सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया गया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनको जारी नोटिस उनके पुत्र को तामील होना प्रकट होता है तथा मौका फर्द में भी अपीलान्ट के पुत्र के उपस्थित रहने तथा मौका फर्द पर हस्ताक्षर से इन्कार करने का तथ्य अंकित किया गया है। इसके अलावा अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश के अनुसार पत्थरगढी होने से उनके हक–हिस्से को प्रभावित होना अथवा भूमि का रकबा कम होना अपील में अंकित नहीं किया गया है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय से किसी प्रकार की त्रुटि होना दर्षित नहीं होती है जिससे उसमें हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता प्रतीत होती हो। इस प्रकार उल्लेखित समस्त तथ्यों के विष्लेषण एवं विवेचन उपरान्त हमारे विनम्र मत में अपीलान्ट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाई जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के उपरान्त अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.11.2022 को यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 25 फरवरी, 2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 प्रतिभा सिंह)
सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर